

केसी गुप्ता एवं अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य।

9 मई, 1967

समतुल्य उद्धरण: एआईआर 1969 पीएच 34

बेंच: आर नरूला

आदेश

1. संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत पंजाब के राज्यपाल द्वारा बनाए गए पंजाब सेवा एकीकरण नियम, 1957 की वैधता और संवैधानिकता पर इस मामले में याचिकाकर्ता केसी गुप्ता और दो अन्य ने आपत्ति जताई है।

2. सभी तीन याचिकाकर्ता 1956 में जिला पंचायत अधिकारी के रूप में तत्कालीन पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (बाद में पेप्सू के रूप में संदर्भित) की सेवा में शामिल हो गए। उनकी सहमति से अक्टूबर, 1956 में उनके संबंधित पदों पर उनकी पुष्टि की गई। लोक सेवा आयोग। याचिकाकर्ता सभी स्नातक हैं। PEPSU में याचिकाकर्ताओं द्वारा रखे गए पद राजपत्रित थे और 250-15-400 रुपये के वेतनमान में थे। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में जिला पंचायत अधिकारी (इसके पुनर्गठन से पहले) 1956 में) अराजपत्रित थे और 170-350 रुपये के समय-मान में थे। राज्यों के प्रावधानों के अनुसार तत्कालीन पंजाब राज्य के साथ पीईपीएसयू के विलय के परिणामस्वरूप। पुनर्गठन अधिनियम (1956 का 37) (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) याचिकाकर्ता 1 नवंबर, 1956 से नए राज्य पंजाब के कर्मचारी बन गए। यह विवादित नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को एकीकरण के लिए प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है। पंजाब राज्य के कर्मचारियों के साथ पूर्ववर्ती PEPSU राज्य के कर्मचारियों की।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत पंजाब के राज्यपाल द्वारा बनाए गए पंजाब एकीकरण नियम 1957 (बाद में एकीकरण नियम के रूप में संदर्भित) को 1 जुलाई, 1957 को अधिसूचित किया गया था, और उस तारीख के आधिकारिक राजपत्र भाग IV में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियमों में सेवा के समीकरण के लिए मशीनरी प्रदान की गई और भाग VI में पंजाब और पीईपीएसयू राज्यों के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नियम शामिल थे। पूर्ववर्ती पेप्सू राज्यों के जिला पंचायत अधिकारियों के राजपत्रित पदों को तत्कालीन पंजाब राज्य के जिला पंचायत अधिकारियों के जिला पंचायत अधिकारियों के गैर-राजपत्रित पदों के बराबर किया गया था। समान कैडर में सेवा की अवधि की गणना करके, 21 व्यक्तियों को याचिकाकर्ताओं से ऊपर रखा गया और उन्हें अनंतिम संयुक्त वरिष्ठता सूची में 22 से 24 वें स्थान पर रखा गया। उत्तरदाताओं संख्या 3 से 13 को उनके ऊपर रखा गया था। शेष व्यक्ति जिन्हें याचिकाकर्ताओं के ऊपर रखा गया था, उन्हें फंसाया नहीं गया है क्योंकि कहा गया है कि याचिका दायर करने से पहले वे सेवानिवृत्त हो गए थे या संबंधित विभाग छोड़ चुके थे।

रिट याचिका का परिशिष्ट 'ए-1' पंचायत विभाग के कर्मचारियों (दायर स्टाफ) की संशोधित संयुक्त वरिष्ठता सूची है। उपर्युक्त समीकरण के विरुद्ध भी याचिकाकर्ताओं द्वारा 3 मई, 1957 को अलग-अलग अभ्यावेदन (भूपेंदर सिंह याचिकाकर्ता संख्या 3 के अभ्यावेदन की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'बी' के रूप में) पंजाब के पंचायत निदेशक को प्रस्तुत किए गए थे। जैसा कि उन्हें सौंपा गया था, उनकी वरिष्ठता तय करने के विपरीत। वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया था और उत्तरदाताओं द्वारा दावा किया गया है कि इसे पंजाब के पंचायत निदेशक द्वारा दिनांक 19

अप्रैल, 1958 को एक संचार के साथ प्रसारित किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने सूची में उन्हें सौंपे गए पदों के खिलाफ अपील प्रस्तुत की। उनकी अपीलों पर राज्य सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया, बाद में तीनों याचिकाकर्ताओं और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थना की गई कि उनके अभ्यावेदन पर केंद्रीय सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाए। इसके बाद केंद्रीय समिति द्वारा याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार के लिए मामला भारत सरकार के पास रखा गया।

अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को पंजाब सरकार के एकीकरण विभाग के सचिव द्वारा 26 अगस्त, 1959 को पत्र द्वारा इसकी सूचना दी गई (संचार की प्रति रिट याचिका के साथ संलग्नक 'सी' है), साथ में उक्त पत्र में केन्द्र सरकार के निर्णय की प्रति संलग्न थी। उक्त आदेश के अनुसार, भारत सरकार संतुष्ट थी कि पीईपीएसयू में याचिकाकर्ताओं द्वारा रखे गए पदों को सही ढंग से बराबर किया गया था और याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन में कोई बल नहीं था और इसलिए, खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने पिछले आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए और उसके खिलाफ शिकायत करते हुए आगे अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1961 (अनुलग्नक 'एफ') द्वारा, पंजाब सरकार के उप सचिव ने पंचायत निदेशक, पंजाब को सूचित किया कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व, पंजाब में गैर-राजपत्रित जिला पंचायत अधिकारियों के साथ उनके समीकरण के विरुद्ध है। राजपत्रित अधिकारियों के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की सलाह पर भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ताज़ा निर्णय की एक प्रति उक्त संचार के साथ संलग्न थी। उस निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार ने, संबंधित पदों से जुड़े अधिकार क्षेत्र, कार्यों और कर्तव्यों में व्यापक समानता को ध्यान में रखते हुए, जिला पंचायत अधिकारियों, पेप्सू के राजपत्रित पदों के गैर-राजपत्रित पदों के साथ समीकरण को मंजूरी दे दी। पंजाब में जिला पंचायत अधिकारी। उस निर्णय में यह भी कहा गया कि मोहिंदर सिंह (जिन्होंने अब विभाग छोड़ दिया है), जो कि पेप्सू में शैक्षिक और प्रचार अधिकारी के अराजपत्रित पद पर थे, को उसी क्षेत्र के अधिकारियों के ऊपर संयुक्त वरिष्ठता सूची में नहीं दिखाया जा सकता है। जो जिला पंचायत अधिकारियों के राजपत्रित पदों पर थे, और इसलिए, मोहिंदर सिंह को पेप्सू के सभी पंचायत अधिकारियों से कनिष्ठ के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय के बारे में पंचायत निदेशक द्वारा याचिकाकर्ताओं को तब तक सूचित नहीं किया गया था जब तक कि उन्होंने दिसंबर, 1964 में एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि उनका मामला लंबित रखा गया है। प्रतिवादी नंबर 2 (पंजाब राज्य) द्वारा याचिकाकर्ताओं को उक्त निर्णय के बारे में सूचित नहीं करने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण (जैसा कि लिखित बयान के पैराग्राफ 14 में निहित है) यह है कि भारत सरकार का निर्णय "तुरंत नहीं बताया जा सका" इसे 1961 में लिया गया था क्योंकि कागजात कहीं खो गए थे।"

राज्य के रिटर्न के अनुसार, उक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं को अक्टूबर, 1965 में ही बता दिया गया था। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने अपना अंतिम अनुस्मारक, दिनांक 11 अगस्त, 1965 (अनुलग्नक 'डी') भेजा था। जवाब में, पंजाब सरकार के सचिव ने अपने पत्र, दिनांक 26 अक्टूबर, 1965 (अनुलग्नक 'ई'), पत्र की एक प्रति, दिनांक 14 अप्रैल, 1961 (अनुलग्नक 'एफ'), केंद्र सरकार के पत्र की एक प्रति भेजी। याचिकाकर्ताओं को निर्णय (अनुलग्नक 'जी')। ऊपर वर्णित स्थिति में ही पदों के समीकरण के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों को रद्द करने और अलग करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में गैर-राजपत्रित पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति और फरवरी, 1964 में अंतिम ग्रेडेशन सूची प्रकाशित की गई। आगे की रिट याचिका में केंद्र सरकार को उचित एकीकरण नियम बनाने और याचिकाकर्ताओं को इसमें एकीकृत करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

राज्य सरकार से प्रभावित हुए बिना पंजाब का नया राज्य। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के साथ एकीकृत होने के हकदार हैं और कैडर, स्थिति पर उचित विचार करने के बाद एक नई ग्रेडेशन सूची तैयार करने की प्रार्थना करते हैं। , याचिकाकर्ताओं के अधिकार, स्थिति, पद और वेतनमान।

2ए. रिट याचिका का उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया है। केंद्र सरकार ने अपना संक्षिप्त लिखित बयान दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवाओं के एकीकरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर 1956 में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में सहमति व्यक्त की गई थी, किन सिद्धांतों के अनुसार समीकरण पदों का निर्धारण निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना था:

(i) पदों की प्रकृति और कर्तव्य

(ii) पद धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जिम्मेदारियां और शक्तियां, क्षेत्रीय या अन्य प्रभार की सीमा और निर्भाई गई जिम्मेदारियां

(iii) पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता, यदि कोई हो

(iv) पद का वेतन।

केंद्र सरकार के रिटर्न में यह जोड़ा गया है कि पंजाब सरकार ने केवल अनंतिम समीकरण बनाए और पंचायत विभाग के अधिकारियों की अनंतिम संयुक्त पदक्रम सूची तैयार की, और संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया, जो प्राप्त होने पर राज्य द्वारा अग्रेषित किया गया। सरकार राज्य सलाहकार समिति को अपनी टिप्पणियों सहित। इसके बाद, पंचायत विभाग के कुछ अधिकारियों के अनुरोध पर, राज्य सरकार ने अभ्यावेदन को केंद्रीय सलाहकार समिति के समक्ष रखे जाने के लिए भारत सरकार को भेजा। अंतिम उल्लिखित समिति में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, श्री पीएन सप्रू, राज्य सभा सदस्य, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और श्री केवाई भंडारकर, केंद्र सरकार के मंत्रालय में सेवानिवृत्त सचिव शामिल थे। कानून।

उक्त केंद्रीय सलाहकार समिति का दावा है कि उसने याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन और राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार किया है और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश की है, जिसने उन पर विचार किया और अंतिम आदेश पारित किए, जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। आईटी रिटर्न में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय सलाहकार समिति या केंद्र सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी गई क्योंकि ऐसा पाठ्यक्रम अपनाना आवश्यक नहीं था। केंद्र सरकार के अनुसार, राज्य सरकार ने जो कुछ किया वह प्रारंभिक कार्रवाई करना था जो भारत सरकार द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पहले आवश्यक था, और याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर भारत सरकार द्वारा विचार-विमर्श करके उचित रूप से विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। केंद्रीय सलाहकार

समिति के साथ. इस बात से इनकार किया गया है कि भारत सरकार ने अधिनियम के तहत अपने किसी भी कार्य को राज्य सरकार को सौंप दिया है।

3. पंजाब राज्य प्रतिवादी नंबर 2 ने एक विस्तृत लिखित बयान दायर किया है, जिसके अनुसार एकीकरण नियम केंद्र सरकार की सलाह के अनुसार बनाए गए थे और उन निर्देशों के अधीन थे जिन्हें भारत सरकार धारा के तहत जारी कर सकती है। 115(5) और अधिनियम की धारा 117। उत्तरदाताओं संख्या 3 और 5 से 7 ने 21 मई, 1967 को एक संयुक्त रिटर्न दाखिल किया है, जो प्रतिवादी संख्या 5, हरि कृष्ण के एक हलफनामे के रूप में है, उनके रिटर्न में विभिन्न अतिरिक्त बचाव उठाए गए हैं।

4. नरिंदर सरूप, याचिकाकर्ता संख्या 2, ने सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से 24 अक्टूबर, 1956 को सीएम 3921 ऑफ 1966 में अदालत की अनुमति के साथ एक संयुक्त प्रतिकृति दायर की है। प्रतिकृति में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए हैं एक ओर पेप्सू के पूर्ववर्ती राज्य में उनके द्वारा धारित पदों और दूसरी ओर पंजाब में उनके समकक्षों द्वारा धारित पदों के बीच असमानता, जिनके साथ उनकी बराबरी की गई है। प्रतिकृति में सामने लाई गई एकमात्र अन्य महत्वपूर्ण बात उन आधारों की एक सूची है जिस पर यह दावा किया गया है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा तैयार किया गया समीकरण विवरण मनमाना है और स्वयं एकीकरण नियमों के विरुद्ध है।

5. रिट याचिका की सुनवाई में, हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप, जो इस मामले में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से पेश हो रहे हैं, ने इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि यह याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि यह अनुचित देरी के बाद दायर की गई है। चूंकि 1957 में बनाए गए एकीकरण नियमों और 1961 में पारित किए गए केंद्र सरकार के आदेशों की वैधता और वैधता पर याचिकाकर्ताओं द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए यह दावा किया गया है कि याचिका को गुण-दोष पर विचार किए बिना खारिज कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि इसे नियमावली बनने के लगभग आठ साल बाद और केंद्र सरकार के अंतिम आदेशों की तारीख से लगभग चार साल की समाप्ति के बाद दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं हो सकता था यदि उनका अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया गया था या यदि वे अन्यथा एकीकरण की प्रक्रिया से संतुष्ट थे जहां तक उनका संबंध था। एकीकरण नियमों को अमान्य घोषित करने के लिए उनके द्वारा दायर की गई कोई भी रिट याचिका, हालांकि वे उनसे प्रभावित नहीं थे, तुरंत खारिज कर दी गई होती। पहली बार जब वे कला के तहत उचित रूप से इस न्यायालय में आ सकते थे। संविधान का 226 तब था जब याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन के खिलाफ केंद्र सरकार का अंतिम आदेश उन्हें सूचित किया गया था। माना जाता है कि यह अक्टूबर, 1965 से पहले नहीं हुआ था। इसके तुरंत बाद रिट याचिका दायर की गई है। इन परिस्थितियों में, मुझे उत्तरदाताओं की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई योग्यता नहीं दिखती है और मुझे इसे अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान वकील श्री डीएस नेहरा ने निम्नलिखित पांच बिंदु उठाए हैं:

(1) राज्य सरकार को एकीकरण नियम बनाने और पदों के समीकरण या उन्हें समूहीकृत करने के लिए कोई फार्मूला बनाने का कोई अधिकार नहीं था। केंद्र सरकार, जो अधिनियम के तहत एकमात्र और विशिष्ट वैधानिक प्राधिकारी थी, को राज्य सरकार के पक्ष में अपने कार्यों को त्यागने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(2) केंद्र सरकार के आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि वे याचिकाकर्ताओं को उनके अभ्यावेदन के समर्थन में सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में पारित किए गए थे। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता का आक्षेपित समीकरण और निर्धारण रद्द करने योग्य है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में तय किया गया था:

(3) विवादित समीकरण मनमाना है और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत है जैसा कि उसके रिटर्न में बताया गया है:

(4) एकीकरण नियमों के नियम 16 का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता के समीकरण और निर्धारण का भी आदेश दिया गया है, और मोहिंदर सिंह को रखने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय का भी उल्लंघन है। संयुक्त वरिष्ठता सूची; और (5) किसी भी मामले में याचिकाकर्ता उस कठिनाई को कम करने के लिए तदर्थ राहत के हकदार थे जो उन्हें विवादित आदेशों के कारण हुई थी।

7. पहले बिंदु का तर्क इस प्रकार आगे बढ़ता है. राज्य सरकार के पास अपनी सेवाओं का एकीकरण करने के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 41 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवा और उससे जुड़े मामलों के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है। किसी और चीज के अभाव में, राज्य अपनी सेवाओं के एकीकरण के लिए कानून और नियम बना सकता है और उस उद्देश्य के लिए अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। अधिनियम की धारा 115 की उप-धारा (5) ने संविधान के अनुच्छेद 4 के संचालन से राज्य सेवाओं के एकीकरण की उक्त शक्ति को विशेष रूप से केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया है, इस प्रकार राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं बची है। इस तर्क के लिए एमए जलील बनाम मैसूर राज्य, एआईआर 1961 मैसूर 210 में मैसूर उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है।

उस मामले में यह माना गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 115(5) को अधिनियमित करने की शक्ति के स्रोत में संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 शामिल हैं और उस उप-धारा के अधिनियमन का अपरिहार्य परिणाम यह है कि संबंधित राज्य अपने कार्यकारी अधिकार के व्यापक क्षेत्र में एकीकरण करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया है। विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 4(2) के आधार पर, अधिनियम की धारा 115 की उप-धारा (5) के प्रावधान की वैधता पर राज्य की प्रदत्त सामान्य कार्यकारी शक्ति का अपमान करने के रूप में हमला नहीं किया जा सकता है। इस पर संविधान द्वारा. आगे यह माना गया कि केंद्र सरकार, जो संसद की प्रतिनिधि है, के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह किसी भी राज्य की सरकार को अधिनियम के तहत एकीकरण करने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दे। इस स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 2,3,4 और 162 के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 115 (1), (2), (3) और (5), और 117 के रूप में निर्धारित करना उचित होगा।

लेख:

"2. संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

3. संसद कानून द्वारा:

(ए) किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र को एकजुट करके एक नए राज्य से;

(बी) किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना;

(सी) किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना;

(डी) किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल देगा;

(ई) किसी भी राज्य का नाम बदलें:

बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा और जब तक कि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित नहीं करता है, विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया गया है। राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को उस अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहते हैं जो संदर्भ में निर्दिष्ट किया जा सकता है या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसे राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो गई है।

स्पष्टीकरण 1. - इस आलेख में, सीएलएस में। (ए) से (ई), "राज्य" में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, लेकिन परंतुक में, "राज्य" में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण द्वितीय. - खंड (ए) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जोड़कर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति शामिल है।"

"4(1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी कानून में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान शामिल होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और इसमें ऐसे पूरक भी शामिल हो सकते हैं, प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान (संसद में और ऐसे कानून से प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल या विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रावधानों सहित) जैसा कि संसद आवश्यक समझे।

(2) उपरोक्त किसी भी कानून को इस संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है।

बशर्ते कि किसी भी मामले में जिसके संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति इस संविधान द्वारा या बनाए गए किसी भी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन और सीमित होगी। संसद द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों पर।"

अनुभाग:

" 115. अन्य सेवा से संबंधित प्रावधान - (1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पहले अजमेर के किसी भी मौजूदा राज्य में उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संघ के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, भोपाल, कूर्ग। कच्छ और विंध्य प्रदेश, या मैसूर के मौजूदा राज्यों में से किसी के संबंध में सेवा कर रहा है। पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और सौराष्ट्र, उस दिन से आवंटित किए गए माने जाएंगे। उस मौजूदा राज्य के उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करना।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पहले किसी मौजूदा राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, जिसके क्षेत्र का एक हिस्सा भाग II के प्रावधानों द्वारा दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है, उस दिन से, अनंतिम रूप से सेवा करना जारी रखेगा उस मौजूदा राज्य के प्रिंसिपल उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में जब तक कि उसे केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य उत्तराधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करने की आवश्यकता न हो।

(3) नियत दिन के बाद जितनी जल्दी हो सके, केंद्र सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उत्तराधिकारी राज्य का निर्धारण करेगी, जिसमें उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम रूप से सेवा और तारीख के लिए आवंटित किया जाएगा। जिसके प्रभाव से ऐसा आवंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा।

(4)xxx xx xx xx

(5) केंद्र सरकार निम्नलिखित के संबंध में सहायता के उद्देश्य से आदेश द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियाँ स्थापित कर सकती है -

(ए) नए राज्यों और आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के बीच सेवाओं का विभाजन और एकीकरण; और

(बी) इस धारा के प्रावधानों से प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर उचित विचार करना।

117 केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति - केंद्र सरकार नियत दिन से पहले या बाद में किसी भी समय किसी राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसे इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत हो। और राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।"

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री डीएस नेहरा ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों को लागू करने में संसद का उद्देश्य राज्यों में संभावित पूर्वाग्रह के कारण उचित न्याय नहीं करने वाले इच्छुक तत्वों से बचना था। एकीकरण के मामले में एकीकृत राज्यों की विभिन्न इकाइयों के विरुद्ध श्री नेहरा ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार निस्संदेह एकीकरण के बाद अपनी सेवाओं के लिए कानून और नियम बना सकती है, लेकिन एकीकरण की प्रक्रिया के संबंध में ऐसा करना उसकी शक्ति है। जो कानूनी कल्पना के अनुसार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 1956 की आधी रात को घटित हुआ था, उसे इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार को प्रासंगिक शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियम के प्रावधानों ने एकीकरण से संबंधित अपनी सेवाओं के लिए नियम बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य के सामान्य अधिकार को छीन लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री नेहरा को एमए जलील के मामले, एआईआर 1961 माइस 210 (सुप्रा) में मैसूर उच्च न्यायालय के आदेश का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है।

9. वकील ने जीएम शंकरैया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1967-1 लैब एलजे 15 (माईएस) मामले में उसी न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच (केएस हेगड़े और एम. संतोष, जेजे) के बाद के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार पर अधिनियम की धारा 115 और एस की उपधारा (2) और (3) के प्रावधानों से प्रभावित सभी व्यक्तियों के लिए उचित और न्यायसंगत उपचार सुनिश्चित करने के लिए नए राज्यों में सेवाओं को एकीकृत करने का कर्तव्य सौंपा गया था। 115 विशेष रूप से केंद्र सरकार को मौजूदा राज्यों की सेवाओं को विभाजित करने और अपने कुछ अधिकारियों को एक या अन्य उत्तराधिकारी राज्यों को आवंटित करने की शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, पेप्सू और पंजाब के मामले में, एक राज्य की सेवाओं को दूसरे राज्य में आवंटित करने में कोई कठिनाई नहीं थी क्योंकि पेप्सू के सभी कर्मचारियों को पंजाब राज्य में उनके समकक्षों के साथ एकीकृत करने के बारे में कोई विवाद नहीं था, जो उत्तराधिकारी था। पेप्सू के बारे में बताएं।

10. अगला मामला जिसका संदर्भ श्री नेहरा ने दिया है वह पीके रॉय बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1964 मध प्रा 307 का है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने उस मामले में कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एकीकरण का कार्य करने की कोई शक्ति नहीं है और अधिनियम की धारा 117 को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल को अधिकृत करने के लिए नहीं माना जा सकता है। उस आधार पर यह माना गया कि एकीकरण के लिए सिद्धांतों को तैयार करने की शक्ति राज्य सरकार को नहीं सौंपी जा सकती। उसी समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामग्री एकत्र करने और सभी प्रासंगिक और सहायक कार्य करने से केंद्र सरकार को एकीकरण के कार्य में सहायता मिलेगी, जिसे राज्यों को सौंपा जा सकता है।

11. श्री नेहरा ने अधिनियम की धारा 129 का भी उल्लेख किया है जो अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा राज्य सरकार को एकीकरण के संबंध में कोई नियम बनाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। केंद्र सरकार को प्रदत्त एकीकरण के संबंध में नियम बनाने की व्यक्त और विशेष शक्ति का दावा श्री नेहरा ने संविधान के अनुच्छेद 4 के

निहितार्थ और संचालन से उस विषय पर नियम बनाने के लिए राज्य सरकार के सामान्य अधिकार को बाहर करने के लिए किया है।

12. दूसरी ओर, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता ने एजे पटेल बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1965 गुजरात 23 (एफबी) में गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया है। एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक फैसले में गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम में कोई स्पष्ट शब्द नहीं हैं, जो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को "विशेष रूप से" सेवाओं के एकीकरण की शक्ति प्रदान करते हैं। अधिनियम की धारा 115 की उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, उन्होंने माना कि सेवाओं का विभाजन आंशिक रूप से विधानमंडल द्वारा किया गया है और आंशिक रूप से केंद्र सरकार को आवंटित किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह माना गया कि यद्यपि संसद के पास नवगठित राज्यों के मामलों के संबंध में सेवाओं के एकीकरण से संबंधित प्रावधान करने का अधिकार है, फिर भी अधिनियम में कोई भी प्रावधान इस अधिकार को नहीं छीनता है। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 162 और 309 में अपने सामान्य अधिकार का प्रयोग करते हुए समान उद्देश्य के लिए नियम बनाने होंगे। अधिनियम की धारा 115(5) में "के संबंध में" अभिव्यक्ति का उपयोग उन उद्देश्यों का सुझाव देने के लिए नहीं किया गया है जिनके लिए सहायता दी जानी है, बल्कि यह उस संबंध के विषय-वस्तु को संदर्भित करता है जिसके तहत सहायता प्रदान की गई है। इस संबंध में न्यायालय का आदेश निम्नलिखित परिच्छेद में उपलब्ध है:

" धारा 115 के प्रावधानों पर समग्र रूप से विचार करने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के आलोक में प्रावधानों पर विचार करने पर, हमें यह प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को सेवाओं के एकीकरण के संबंध में कुछ कार्य करने हैं, लेकिन यह सेवाओं के एकीकरण के प्रयोजन के लिए एकमात्र और विशिष्ट प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है और इसके संबंध में राज्य सरकार की शक्ति पूरी तरह से नहीं छीनी गई है। धारा 115 की उपधारा (5) के प्रावधान होंगे यदि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त राज्य सरकार की शक्ति को सेवाओं के एकीकरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले किसी भी निर्देश के अधीन किया जाता है, तो पूरी तरह संतुष्ट रहें। केंद्र सरकार को इस संबंध में कार्य सौंपे गए हैं इससे प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ उचित और न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य सरकार को इसके संबंध में निर्देश देने की शक्ति निहित है। इन सभी मामलों के संबंध में कार्य करने और इसके संबंध में किसी भी राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होने पर, यह मानना उचित होगा कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं को एकीकृत करने की राज्य सरकार की शक्तियां इसके तहत प्रदत्त हैं। संविधान उस हद तक अस्तित्व में है और जीवित है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के नामांकन के लिए जारी किए जाने वाले निर्देशों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन्हें निरस्त नहीं किया गया हो। यह निर्माण केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन अपनी सार्वजनिक सेवाओं को एकीकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति को संरक्षित रखेगा।

जिस हद तक केंद्र सरकार उस शक्ति का प्रयोग करना चाहेगी, राज्य सरकार की शक्ति सीमित या सीमित होगी।"

गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि वे मैसूर उच्च न्यायालय के इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकते कि केंद्र सरकार को एकीकरण के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन किया गया था।

13. मामले पर गंभीरता से विचार करने के बाद, और मैसूर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, जिन्होंने एआईआर 1961 माइस 210 मामले का फैसला किया, मैं गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मध्य मार्ग से सहमत हूँ। अधिनियम की धारा 129 निस्संदेह केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करती है, लेकिन मेरी राय में, यह राज्यों से उनकी सेवाओं के संबंध में नियम बनाने का उनका

सामान्य अधिकार नहीं छीनती है। एकीकरण नियम 1 नवंबर, 1956 के बाद बनाए गए थे, जब पूर्ववर्ती पेप्सू कर्मचारी पहले ही पंजाब के नए राज्यों के नियंत्रण के अधीन हो गए थे। एकीकरण नियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए थे। इसके अलावा, इस मामले में दायर लिखित में स्पष्ट कथनों से यह स्पष्ट है कि ये नियम केंद्र सरकार के परामर्श से बनाए गए थे और उन्हें उस सरकार की मंजूरी मिली थी। वास्तव में, भारत संघ के रिटर्न में निम्नलिखित अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि पंजाब के नए राज्य में एकीकरण की पूरी प्रक्रिया राज्य के अधिकारियों द्वारा आदेशों के अनुसार और केंद्र के निर्देशों के अधीन की गई थी। सरकार:

"पंजाब सरकार ने अनंतिम समीकरण बनाए और पंचायत विभाग के अधिकारियों की अनंतिम संयुक्त पदक्रम सूची तैयार की, और संबंधित अधिकारियों को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। किए गए अभ्यावेदन को उनकी टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार द्वारा भेज दिया गया था राज्य सलाहकार समिति। इसके बाद, पंचायत विभाग के कुछ अधिकारियों के अनुरोध पर, राज्य सरकार ने अभ्यावेदनों को केंद्रीय सलाहकार समिति के समक्ष रखने के लिए भारत सरकार को भेज दिया। केंद्रीय सलाहकार समिति में अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, श्री पीएन सप्रू, सदस्य, राज्यसभा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और श्री केवाई भंडारकर, सेवानिवृत्त सचिव, केंद्रीय कानून मंत्रालय, सदस्य के रूप में। उस समिति ने प्रतिनिधित्व पर विचार किया और अपनी सिफारिशें भेजीं केंद्र सरकार को, जिन्होंने उन पर विचार किया और अभ्यावेदन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर पूर्ण विचार करने के बाद अभ्यावेदन पर अंतिम आदेश पारित किए। केंद्रीय सलाहकार समिति या भारत सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी गई, क्योंकि यह आवश्यक नहीं था कि व्यक्तिगत सुनवाई दी जाए। केंद्र सरकार के आदेश राज्य सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि एकीकरण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है। हालाँकि राज्य सरकार ने प्रारंभिक कार्रवाई की, जो भारत सरकार द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पहले आवश्यक थी, पदों के अनंतिम समीकरण के खिलाफ श्री केसी गुप्ता के प्रतिनिधित्व पर भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से विधिवत विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। भारत सरकार की शक्तियाँ राज्य सरकार को नहीं सौंपी गईं।"

14. पंजाब राज्य के लिखित बयान में, पैराग्राफ 5 की सामग्री इस संबंध में प्रासंगिक है और इसलिए, शब्दशः नीचे उद्धृत की गई है:

"पंजाब सेवा एकीकरण नियम, 1957, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए थे, जिसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में ऐसे नियम बनाने का अधिकार है। उस राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों के लिए। ये नियम उस राज्य के मामलों के अनुसार बनाए गए थे। ये नियम केंद्र सरकार की सलाह के अनुसार बनाए गए थे। ये उन निर्देशों के अधीन हैं जो सरकार एफ भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 115(5) और 117 के तहत जारी कर सकता है।"

15. एकीकरण नियम राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग करके नहीं बनाए गए थे जो राज्य को सौंपी गई हो सकती थी। वास्तव में अधिनियम के तहत राज्य (केंद्रीय-केंद्रीय?) सरकार के किसी भी कार्य का कोई प्रतिनिधिमंडल साबित नहीं हुआ है। इसलिए, ऐसे प्रतिनिधिमंडल के वैध होने या न होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा, इस मामले की सुनवाई में भी पंजाब राज्य द्वारा अपनाए गए कैडर से कैडर समीकरण के फार्मूले पर कोई अपवाद नहीं लिया गया है। दूसरी ओर, श्री नेहरा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि समूहीकरण का फार्मूला न

केवल अव्यवहारिक था, बल्कि न्याय के सिद्धांतों के विपरीत भी होता और सेवाओं को एकीकृत करने का एकमात्र उचित तरीका एक कैडर को दूसरे कैडर के साथ उपयुक्त रूप से एकीकृत करना था। याचिकाकर्ताओं का एकमात्र झगड़ा याचिकाकर्ता के संबंध में तत्कालीन पेप्सू के जिला पंचायत अधिकारियों और पंजाब राज्य में उनके समकक्षों के बीच बने विशेष समीकरण को लेकर है, जैसा कि 1 नवंबर, 1956 से पहले अस्तित्व में था। जहां तक कहा गया है जहां तक समीकरण का सवाल है, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था और केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं के विस्तृत अभ्यावेदन पर विचार किया और समीकरण के आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा।

क्या कोई बेहतर या अलग निर्णय लिया जा सकता है या नहीं, और क्या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समीकरण उचित योग्यता पर था या नहीं, इस रिट याचिका में मेरे सामने जांच के दायरे से बाहर है, क्योंकि इस न्यायालय से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। गुण-दोष के आधार पर उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील में बैठने के लिए। तथ्य यह है कि समीकरण केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत था। इसलिए, यह माना जाता है कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1957 के एकीकरण नियम बनाने और प्रश्न में सेवाओं की दो इकाइयों को समान करने का अधिकार और अधिकार था। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के नियंत्रण और निर्देश के अधीन, सातवीं अनुसूची की सूची ॥ में प्रविष्टि 41 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए। मौजूदा मामले में यही किया गया है और इसलिए इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता। एकीकरण नियम अधिनियम की धारा 129 के दायरे से बाहर नहीं हैं और वैध और कानूनी हैं।

16. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, सबसे पहले कुछ लोगों के लिए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि क्या एक राज्य में सेवा की विशेष इकाइयों को दूसरे में एक विशेष संगत इकाई के साथ बराबर करने का निर्णय एक है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या नहीं। श्री नेहरा ने शंकरैया (जीएम), 1967-1 लैब एलजे 15 (माईएस) (सुप्रा) के मामले में मैसूर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की टिप्पणियों पर भरोसा किया है कि यह अनुमान लगाना उचित है कि शक्ति अधिनियम की धारा 115(5) के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त एक अर्धन्यायिक शक्ति है, क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया इंगित करती है कि यह शक्ति न्यायिक है क्योंकि अधिनियम द्वारा परिकल्पित "निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार" का परीक्षण एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण है।

17. विद्वान वकील द्वारा ग़ोवर के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी भरोसा किया गया है। जे. मदन लाल बनाम भारत संघ, 1967 क्यूआर एलजे (पीबी और हर) 612 में;

"कोई उचित विचार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एकीकृत सेवा में संयुक्त वरिष्ठता में किसी भी निर्णय से प्रभावित होने वाले पक्ष या पार्टियों को यह नहीं बताया जाता कि वरिष्ठता का दावा करने वाले अन्य दलों के अभ्यावेदन क्या हैं ताकि उचित अभ्यावेदन भेजा जा सके। पार्टी या पार्टियों द्वारा प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए, क़ानून में स्वयं एक संकेत है कि उपरोक्त प्रावधान के मामलों में केंद्र सरकार के निर्णय से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को कुछ सुनवाई या अवसर दिया जाना चाहिए।"

दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 और 5 से 7 के विद्वान वकील श्री हरनाम सिंह वासु ने शालिग्राम अनंतराम बनाम भारत संघ एआईआर 1967 पुंज 98 में इसके कपूर, जे. के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है स्पष्ट रूप से माना गया कि अधिनियम में विभिन्न धाराएं संबंधित कर्मचारियों को केंद्र सरकार से किसी विशेष तरीके से समायोजन या एकीकरण करने की मांग करने का अधिकार नहीं देती हैं, और यह पूरी तरह से केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है, न ही धारा 115 न ही अधिनियम की धारा 116 इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इसके तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार न्यायिक रूप से कार्य कर रही है। श्री वासु ने विनोद कुमार राधिका प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया है। एआईआर 1966 मध प्रा 134.

18. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री नेहरा ने इसके बाद उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिसाल बिनापानी देई . 1967 एससी (नोट्स) 76: (एआईआर 1967 एससी 1269) मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि यहां तक कि एकपक्षीय जांच में निर्धारित उम्र के आधार पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति जैसे प्रशासनिक मामले में भी, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है और उसे ऐसा अवसर दिए बिना पारित कोई भी आदेश रद्द किया जा सकता है। कौंसल ने उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया कि हालांकि ऐसी स्थिति में निर्णायक प्राधिकारी एक न्यायाधीश की स्थिति में नहीं है, जिसे प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच कार्रवाई का फैसला करने के लिए कहा जाता है और हालांकि सख्त अनुपालन होता है। न्यायिक प्रक्रिया के प्रारूप पर जोर नहीं दिया जा सकता है, फिर भी संबंधित प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को, जिसके खिलाफ जांच की जा रही है, अपना पक्ष या बचाव स्थापित करने का अवसर और किसी भी साक्ष्य को सही करने या खंडित करने का अवसर दे। उस अधिकार के जुलूस में जिस पर उसके पूर्वाग्रह पर भरोसा करने की मांग की जाती है।

उपरोक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांत सर्वविदित हैं रेत अच्छी तरह से तय की गई है। हालांकि, श्री नेहरा को जो याद आ रहा है, वह यह है कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एससी (नोट्स) 76 (एआईआर 1967 एससी 1269) (सुप्रा), साथ ही 1967 में ग्रोवर, जे. के फैसले में क्यूआर एलजे (पीबी) और हर) 62 वहां एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जानी थी, वह अपने खिलाफ सबूतों या उस सामग्री को जानने का हकदार नहीं था जिसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था, और उसे पूरा करने का। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हमेशा सकारात्मक रहा है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं किया गया था। उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी सामग्री पर विचार नहीं किया जा रहा था। सरकार स्वयं याचिकाकर्ताओं के विस्तृत लिखित अभ्यावेदन पर विचार कर रही थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह कभी भी निर्धारित किया गया है कि इस आशय की वैधानिक आवश्यकता के अभाव में कोई भी व्यक्ति जिसने अभ्यावेदन दिया है, वह अपने अभ्यावेदन का निपटान करने से पहले मौखिक रूप से सुने जाने का अधिकार रखता है।

एस कपूर सिंह बनाम भारत संघ, एआईआर 1960 एससी 493 में यह माना गया था कि मौखिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर अनुच्छेद 311 की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कारण दिखाने के अवसर का एक आवश्यक आधार नहीं है। संविधान। इसके अलावा, मैं शालिग्राम अनंतराम चतुर्वेदी के मामले, एआईआर 1967 पुंज 98 (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले से बंधा हुआ हूं, और इसके सामने यह नहीं मान सकता कि केंद्र सरकार से धारा 115 के तहत कार्यवाही के दौरान न्यायिक रूप से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। और अधिनियम की धारा 116 . किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई उचित शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सरकार के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में कभी भी मौखिक सुनवाई की मांग नहीं की। किसी भी मामले में, विवादित कार्यवाही में

प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः श्री नेहरा के दूसरे तर्क में भी कोई दम नहीं है।

19. मामले में उठाए गए हमले का तीसरा आधार लगभग विवाद के गुण-दोष की ओर जाता है। श्री नेहरा का तर्क यह है कि यद्यपि चार मानदंड हैं; अर्थात्. (i) कर्तव्यों की प्रकृति; (ii) जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ आदि; (iii) न्यूनतम योग्यता; और (iv) पदों या संवर्गों के समीकरण निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वेतन निर्धारित किया गया था, सरकार ने अपने रिटर्न के अनुसार, वर्तमान मामले में, उनमें से केवल एक को ध्यान में रखा, वह है प्रकृति और एक ओर याचिकाकर्ताओं और दूसरी ओर पंजाब में उनके समकक्षों द्वारा धारित पदों के कर्तव्य। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि पेप्सू अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बड़ी जिम्मेदारियाँ, उच्च शक्तियाँ, तथ्य यह है कि पेप्सू में न्यूनतम योग्यता स्नातक थी और पंजाब में यह मैट्रिकुलेट थी, और वेतन में भारी अंतर था। विवादित समीकरण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को खारिज करने में केंद्र सरकार द्वारा पदों के दो सेटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने इन बिंदुओं पर केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दिया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धांत उनके स्वयं के मार्गदर्शन के लिए थे और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उच्च न्यायालय के लिए उस संबंध में सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करना संभव होगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश मौखिक आदेश नहीं हैं और न ही आदेशों का कारण सहित समर्थन करना आवश्यक था। इसलिए, यह जानना संभव नहीं है कि पंजाब राज्य द्वारा प्रस्तावित समीकरण को कायम रखने में केंद्र सरकार को क्या विचार करना पड़ा। मैं उस आधार पर समीकरण के क्रम में हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं खोज सकता।

20. चौथा तर्क एकीकरण नियमों के नियम 16 के कथित उल्लंघन से संबंधित है। उक्त नियम इस प्रकार है:

"इन नियमों के तहत पंजाब राज्य में किसी भी कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारित करने में मूल राज्य में किसी भी कर्मचारी की पारस्परिक वरिष्ठता में गड़बड़ी नहीं की जाएगी।"

शिकायत यह है कि मोहिंदर सिंह, जो पेप्सू में याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ थे, को एकीकरण के परिणामस्वरूप तैयार की गई संयुक्त वरिष्ठता सूची में अवैध रूप से याचिकाकर्ताओं से ऊपर रखा गया है। याचिकाकर्ताओं की यह शिकायत पूरी तरह से उचित प्रतीत होती है। वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने इस अवैधता के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया और उनका प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के आदेश (अनुलग्नक 'जी') के पैराग्राफ (2) द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिसमें यह निर्देश दिया गया कि मोहिंदर सिंह, जो पेप्सू में शैक्षिक और प्रचार अधिकारी के अराजपत्रित पद पर थे, को याचिकाकर्ताओं के ऊपर संयुक्त वरिष्ठता सूची में नहीं दिखाया जा सकता, जो जिला पंचायत अधिकारी के राजपत्रित पद पर थे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मोहिंदर सिंह को पेप्सू के सभी पंचायत अधिकारियों से जूनियर दिखाया जाए। हालांकि मोहिंदर सिंह ने विभाग छोड़ दिया है, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संयुक्त वरिष्ठता सूची में उन्हें याचिकाकर्ताओं से ऊपर दिखाने में पंजाब सरकार द्वारा की गई प्रारंभिक गलती से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने माना है कि यह खेद का विषय है कि केंद्र सरकार के उपरोक्त निर्देशों पर विवाद किया गया है, जो राज्य के अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं, मोहिंदर सिंह को वास्तव में नंबर 16 पर दिखाया गया है संशोधित संयुक्त वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक 'ए-1) में, हालांकि याचिकाकर्ताओं को उसमें 22 से 25 नंबर पर दिखाया गया है। मोहिंदर सिंह का नाम क्रमांक 16 से हटाया जाना चाहिए था तथा क्रमांक 17 से 24 तक के कार्मिकों का नाम एक क्रमांक ऊपर उठाया जाना चाहिए था तथा मोहिंदर सिंह को अनुपालन में उक्त सूची में क्रमांक 24 पर रखा जाना चाहिए था ऊपर उल्लिखित केंद्र सरकार के आदेशों के साथ। अब ऐसा किया जाना चाहिए और इस परिवर्तन की श्रृंखला प्रतिक्रिया का परिणामी प्रभाव और लाभ (केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार) याचिकाकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

21. याचिकाकर्ताओं की ओर से दिया गया अंतिम निवेदन यह है। यह बताया गया है कि तत्कालीन पेप्सू और पंजाब में निम्नलिखित प्रासंगिक संगत सेवाएँ थीं:

1. जिला पंचायत अधिकारी (स्नातक अथवा द्विस्नातक) 250-15-400 रुपये के समयमान में:

पंजाब जिला पंचायत अधिकारी (स्नातक सहित) 170-10-350 रुपये के समय-मान में;

रुपये के वेतनमान में चयन ग्रेड पंचायत अधिकारी। 125-230;

100-160 रुपये के समयमान में पंचायत अधिकारी;

200-10-300 रुपये के पैमाने पर प्रचार और शिक्षा अधिकारी।

22. तर्क यह है कि चयन ग्रेड पंचायत अधिकारियों को अलग-अलग (पंजाब में उनके समकक्षों के साथ) समान किया गया है, केवल उनके वेतन के अंतर के कारण दोनों राज्यों में पंचायत अधिकारियों को मजबूत किया गया है, पेप्सू के जिला पंचायत अधिकारियों को भी एक में रखा जाना चाहिए था उनके वेतनमान के साथ-साथ उनकी शैक्षिक योग्यता और कर्तव्यों के महत्व में भारी अंतर के कारण कैडर पंजाब में उनके समकक्षों से अलग है। यह दोनों राज्यों के जिला पंचायत अधिकारियों का समीकरण है जो याचिकाकर्ताओं की एकमात्र बुनियादी शिकायत है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि समीकरण सही है, तो मोहिंदर सिंह के मामले को छोड़कर, पंजाब अधिकारियों के साथ याचिकाकर्ताओं की पारस्परिक वरिष्ठता सही ढंग से तय की गई है, जिसे पहले ही ऊपर निपटाया जा चुका है। यह तर्क दिया गया है कि भले ही एकीकृत राज्य के पंचायत विभाग में विभिन्न सेवाओं के समीकरण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त परिस्थितियों में, तदर्थ आधार पर, के अनुसार राहत दी जानी चाहिए थी। एकीकरण नियमों के भाग IV के नियम 11 (ए) के परंतुक की आवश्यकताएं। नियम 11 (ए) निम्नलिखित शर्तों में है:

"11(ए) पंजाब राज्य में प्राप्त सेवाओं और पदों के पैटर्न को एक मानक के रूप में लिया जा रहा है, पीईपीएसयू राज्य को सभी प्रासंगिक विचारों के लिए, सामान्य रूप से संबंधित सेवाओं और पदों में उनके साथ बराबर किया जाना चाहिए:

बशर्ते कि यदि असमानता या अन्याय का कोई मामला संज्ञान में लाया जाता है तो तदर्थ आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- सेवाओं और पदों का समीकरण उस अवधि को कवर करेगा जब समान सेवाएँ और पद निम्न वेतनमान में थे, (बी) पेप्सू राज्य में ऐसी सेवाएँ और पद जो समान नहीं हैं, उन्हें गैर-समान माना जाएगा। "

याचिकाकर्ताओं ने महसूस किया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने उस आधार पर तदर्थ राहत के लिए भी प्रतिनिधित्व किया। केंद्र सरकार, जो कि योग्यता के आधार पर मामले से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, ने याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में, यह इस न्यायालय का काम नहीं है कि वह गुण-दोष के आधार पर केंद्र सरकार के फैसले पर अपील करे और यह तय करे कि याचिकाकर्ताओं के साथ उक्त समीकरण के कारण अन्याय हुआ है या नहीं। उचित और न्यायसंगत वितरण क्या है यह सरकार द्वारा तय किया जाना था। याचिकाकर्ताओं को भारत संघ के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिला है। उनके अभ्यावेदन पर राजपत्रित अधिकारियों की केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में विचार किया गया। भले ही याचिकाकर्ताओं को उचित रूप से लगता है कि एकीकरण के मामले में उनके साथ न्यायसंगत और निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया गया है, वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शायद ही किसी राहत का दावा कर सकते हैं, क्योंकि यह न्यायालय केंद्र सरकार के फैसलों पर अपील नहीं करता है। अधिनियम के तहत योग्यता.

23. इस मामले में पक्षकारों के वकील द्वारा किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं की गई है। इसलिए, रिट याचिका आंशिक रूप से ही सफल होती है। प्रतिवादी नंबर 2 को अपने आदेश (अनुलग्नक 'जी') 14, 1961 (अनुलग्नक 'एफ') के पैराग्राफ 2 में निहित केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करने और एकीकृत कैडर की पारस्परिक वरिष्ठता को समायोजित करने और समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। 1 नवंबर, 1956 से प्रभावी, इस आधार पर कि मोहिंदर सिंह का नाम संयुक्त वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ताओं के नीचे रखा गया माना गया और याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया गया, यदि कोई हो, जो कि प्राप्त हो सकता है। अपेक्षित कार्यान्वयन की श्रृंखला प्रतिक्रिया में उन्हें। अन्य सभी मामलों में याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

24. याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)